02.04.26 पत्रावली वास्ते निर्णय आज पेश हुई। वकील अभयपडा हाजिर। वकील अभयपडा के निवेदन पर वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक बटवारा प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से टंकण करा शामिल रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास:—मोनिका सामोर, आर.ए.एस.

राज. वाद संख्या: 128 / 2023

1. रुघाराम पुत्र जीवणराम उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी चैनपुरा, खाचरियावास, तहसील— दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. गुल्लाराम पुत्र देबुराम उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी चैनपुरा, खाचरियावास, तहसील— दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान
2. राजेन्द्र प्रसाद दत्तक पुत्र नाथु राम उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी चैनपुरा, खाचरियावास, तहसील— दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
4. उप—पंजियक, दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
5. पटवारी पटवार हल्का चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
6. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक

— प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बटवारा, उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती</u>

उपस्थिति:

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील वादी की ओर सें।
2. श्रीमति पुष्पा चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर सें।
3. प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई।

निर्णय **दिनांक 02.04.2026**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमियों खसरा न. 607 / 881 रकबा 0. 0500 हैक्टर, खसरा न. 608 / 869 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा न. 927 / 596 रकबा 0. 2020 हैक्टर, खसरा न. 928 / 596 रकबा 0.0080 हैक्टर, खसरा नम्बर 929 / 608 रकबा 2.6340 हैक्टर, खसरा नम्बर 930 / 608 रकबा 0.0760 हैक्टर, कुल किता 6 कुल रकबा 2.9800 हैक्टर वाकै ग्राम चैनपुरा पटवार हल्का चैनपुरा भु.अभि.नि.क्षेत्र खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान की तन में अवस्थित है। जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की अविभाजित सयुक्त कब्जेशुदा व खातेदारी शुदा कृषि भुमियाँ है। जिसका वादी व

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ